न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी , आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 59/2013

जीसीएमएस आईडी 2013/00054

1. सतपाल पुत्र रामरत्न जाति बिश्नोई निवासी 3 आई एस डब्लयू बी तहसील रायसिंहनगर – वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. श्रीमान् अधिशाषी अभियंता इन्दरा गांधी नहर परियोजना सूरतगढ ब्रान्च खण्ड श्रीविजयनगर

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एवं
धारा 88–92ए राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री सतपाल बिश्नोई, वकील वादी
2. राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 08.12.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम चक 3 आईएसडब्ल्यू बी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 24 प.न. 191/358 के कि.नं. 1 में .202है. मय खाला, 2 ता 4 प्रत्येक .253है. नहरी मय खाला, 5 में .202है. मय खाला, 6 सालम मय खाला, 7 ता 9 सालम सालम, 10 में .202, 11 मे .202, 12 ता 14 सालम सालम, 15 सालम मय खाला, 16 सालम मय खाला, 17 ता 19 सालम सालम, 20 में .202, 21 में .202, 22 ता 24 सालम सालम, 25 सालम मय खाला कुल तादादी 6.072है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि हैं। वादी के उक्त रकबा चक 3 आईएसडब्ल्यू बी तहसील रायसिंहनगर का मु.न. 24 प.नं. 191/358 के कि.नं. 1 ता 5 व 5–6–15–16–25 में से सरकारी खाला स्वीकृत था लेकिन जब इस चक में पक्का खाला का निर्माण किया गया है तो वादी के उक्त रकबा में स्वीकृत सरकारी खाला कि.नं. 1 ता 5 तथा 5–6–15–16–25 को बंद किया जाकर मु.नं. 191/359 के कि.नं. 1ता5 में स्वीकृत किया जाकर पक्का खाला का निर्माण कर दिया तथा वादी के उक्त मु.नं. के कि.नं. 25 में स्वीकृत नाका कर दिया गया। जिससे वादी अपने मुरब्बे में सिचांई सुविधा प्राप्त कर रहा हैं। वादी ने जब भूमि आवंटन हुई तो वादी ने मय खाला की राशी अदा की है इसलिए अब जब सिचांई विभाग प्रतिवादी सं. 2 द्वारा इस कि.नं. 1 ता 5 में से तथा 5–6–15–16–25 में पूर्व में स्वीकृत खाला को हटा दिए जाने के कारण वादी इस स्वीकृत खाला की जगह का खातेदार हो चुका हैं। तथा राजस्व रिकार्ड में इसकी दुरूस्ती करवा कर अपने आपकी खातेदारी दर्ज करवाए जाने का विधिक रूप से अधिकारी हैं। चक 3 आईएसएब्लयू बी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 24 प.नं. 191/358 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में .025है. स्वीकृत खाला तथा कि.नं. 5–6–15–16–25 मे प्रत्येक में स्वीकृत खाला .025है. जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा हटा दिया गया हैं। तथा मौका पर चालू नहीं है को गैर मुमकिन से मुमकिन किया जाकर वादी की इस सरकारी खाला की जगह का खातेदार घोषित किया जाने की डिक्री पारित करने एवं राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रकबा का वादी के नाम से खातेदारी इंतकाल दर्ज करने तथा राजस्व रिकार्ड में [illegible] करने हेतु निवेदन किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण [illegible] या गया।

प्रतिवादी सं. 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया [illegible] सं. [illegible] के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं, तथा प्रतिवादी सं. 2 [illegible] गया हैं। अतः प्रतिवादी की हद तक वाद सव्यय खारिज [illegible] जवाब सरकार पेश हुआ। वादी की ओर से शपथ पत्र सतपाल का पेश हुआ।

वकील वादी के निवेदन करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं कर सीधे बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 3 आईएसएब्लयू बी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 24 प.नं. 191/358 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में .025है. स्वीकृत खाला तथा कि.नं. 5–6–15–16–25 मे प्रत्येक में

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.04 14:23:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

स्वीकृत खाला .025है. जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा हटा दिया गया हैं। तथा मौका पर चालू नहीं है को गैर मुमकिन से मुमकिन किया जाकर वादी की इस सरकारी खाला की जगह का खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील वादी पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–92ए आरटीए एवं 136 एलआरए के तहत प्रस्तुत कर गैर मुमकिन खाला की जगह को मुमकिन कर वादी को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती एवं घोषणात्मक डिक्री पारित करने का अनुतोष चाहा गया हैं। धारा 136 एलआरए के तहत राजस्व रिकार्ड में हुई लिपीकीय अशुद्धियों को सही करने का अनुतोष दिया जा सकता हैं, तथा धारा 88आरटीए के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जा सकती हैं एवं 92 क आरटीए के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित की जा सकती हैं परन्तु वादी द्वारा उपरोक्त धारा के तहत अनुतोष न चाहकर गैर मुमकिन खाला को मुमकिन कर उक्त खाला के रकबा का वादी को खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया हैं। तथा वादी द्वारा वाद में अंकित किया गया हैं कि वादी ने जब भूमि आवंटन हुई तो वादी ने मय खाला की राशी अदा की है, परन्तु वादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया हैं। तथा वादी द्वारा सिंचाई विभाग द्वारा वादी के रकबा में स्वीकृत खाला मु.न. 24 प.नं. 191/358 के कि.नं. 1 ता 5 व 5–6–15–16–25 को कभी निरस्त किया गया हो बाबत कोई आदेश की प्रति भी पेश नहीं की गयी हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्यों के अभाव के कारण वाद वादी अस्वीकार किया जाता हैं।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.04 14:23:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner